न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थनापत्र स0187/17

1–साहबसिह ।
2–दीवानसिह ।पुत्रान लाखनसिह जातियान लौंधा निवासी नगला जरैला
3–वीरमसिह । तहसील रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1–नेत्रपाल पुत्र री महेन्द्रसिह जाति नट निवासी नगला खरगा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1– श्री अमृतलाल अभिभाषक प्रार्थीगण
2– श्री सन्तोष शर्मा अभिभाषक अप्राथी

निर्णय दिनांक 2-2-18

सक्षेपतः प्रार्थनापत्रे के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगणा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा,212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि उक्त विवादित आराजी खसरान0 353/1रकवा 2–06, 351/6–11 बीघा बाके ग्राम नगला जरैला तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण तथा तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा उक्त विवादित आराजी का प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीकण के मध्य मोका विभाजन हो चुका है उसी मोका अनुसार प्रार्थीगण व तरतीवीप्रतिवादी स0 4 अपने हिस्सें पर सामिल काश्त करते है ।तथा तरततीवी प्रतिस0 2 व 3 सामिल रूप से अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी से लगी चपेटा एक कृषि भूमि 352/1 रकवा 2–12 बीघा वाके ग्राम नगला जरैला में स्थित है। उक्त खसरा न0में अप्रार्थी ने एक प्लाट खरीद लिया है । उक्त प्लाट की आड़ में अप्रार्थी प्रार्थीगणकी उक्त कृषि आराजी वर्णित मद स0 2 के कुछ हिस्से पर जबरन कब्ज करना चाहते है । जबकि अप्रार्थी का उक्त विवादित आराजी से कोई लेना देना नही रहा है । फिन भी अप्रार्थी ने दिनांक 19–12–17 को जबरन नीब खोदकर पक्का निमार्ण करने की ऐलानिया धमकी प्राथीगण को दी जब प्राथीग्ण ने अप्रार्थी को जबरन पक्का निमार्ण नही करने को मना किया तो अप्रार्थी ने ऐलानियॉधमकी दी कि तुम कुछ भी करलो मै तो तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा कर निमार्ण कार्य करूगा । यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है । इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने का अधिकारी है। प्राइमाफैसी केस सुबिधा का सन्तुलन व अपर्णूनीय क्षति के बिन्दू प्राथीगण के पक्ष में बखूबी साबित है ।

अतः प्रार्थना हे कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे किवह ताफैसला वाद आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी

न0 353/1रकवा 2–06 व 351/6–11 बीघा बाके ग्राम नगला जरैला तहसील रूपवास में स्थित है के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे उक्त भूमि पर कोई पक्का निर्माण कार्य नही करे । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत बेजा न करे ।

प्रार्थनापत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हे । प्रार्थनापत्र की मद स0 1 प्रार्थनापत्र पेश होना स्वीकार है अन्य तथ्य स्वीकार नही है । मद स0 2 आराजी नगला जरैला में होना स्वीकार है अन्य तथ्य स्वीकार नही है । मद स0 4व 5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वे स्वीकार नही है । अपने विषेश विवरण में में निवेदन किया है कि सही बता तो यह है कि प्रतिवादी स0 1 की पत्नि सौनवीरी ने दिनांक 11–9–17 को मौहरसिह ,विजयसिह, महाराजसिह ,फूलहसी पुत्रान नेतूजाति लौधा निवासी नगला जरैला से उसकी खातेदारी की आराजी खसरा न0 352/1/2–10बीघा से एक प्लाट34वाई 58 फीट खरदी किया था खरीद की दिनांक से प्रतिवादी झोपड़ी डालकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है । जबकि प्रार्थीगण उल्टा प्रतिवादी के प्लाट अवैध कब्जा कर उसमें होकर आराजी का रास्ता कायम करना चाहता है । अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

योग्य अभिभाषकगण कीबहस सुनी गई ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने में असफल रहे है अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है प्राईमाफैसी केस, सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/12/18

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)